

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०पी०ए० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

14 / 2021
27-1-2021

मौसीन पुत्र मासूम अली जाति मुसलमान निवासी अलीगढ़ तहसील उनियारा जिला
टोंक राज०

-अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला- टोंक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार उनियारा दिनांक 6-1-2021 मिसल नम्बर 1255 / 2020

उपरिस्थिति : (1) श्री गजेन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 20-10-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 6-1-2021 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1148/2134 वाके ग्राम उखलाना में 0.08 है० रकबे पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 24/रूपये की पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं कराई गई है। अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया ओर न ही वास्तविक मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार उनियारा को स्वयं मौके पर जाकर मौके का निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बावजूद कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नहीं ? निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। कब्जा साबित होने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट का कब्जा उसके पिता के समय से चला आ रहा है। उक्त भूमि से किसी भी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध देना नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि तहसीलदार



जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः भूमि से बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। विवादित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1148/2134 वाके ग्राम उखलाना में 0.06 है० पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1148/2134 वाके ग्राम उखलाना में 0.06 है० पर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 4-1-2021 को न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैंने विवादित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1148/2134 वाके ग्राम उखलाना में 0.06 है० पर से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया है, ओर मैं भविष्य में उक्त भूमि अथवा सरकारी भूमि पर पुनः कब्जा नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 6-1-2021 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, दालख
दालख